भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 576986

24193

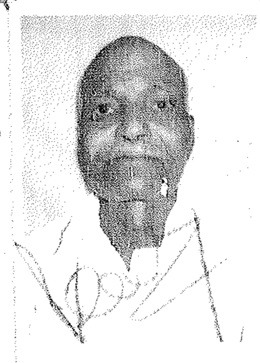

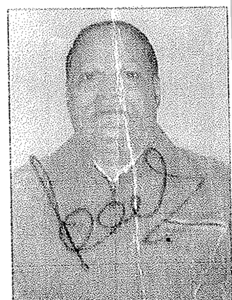

CERTIFICATE

In pursuance of the order of the Collector No. 07 dated 02-06-13 passed under Section - 10-A at the stamp act is certified that an amount of **Rs.15,00,000/- (Fifteen Lacs only)** has been paid by **Saras Infra Buildcon Pvt. Ltd. Office at Near Darpan Advertisers, Opp. Kabir Mandir, Sitapur Road, Lucknow** in cash as stamp duty in respect of this intrument in the **State Bank of India, Lucknow** by **Challan No.G 070049 dated 03.06.2013** a copy of which is annexed herewith.

Dated :- 04.6.13

Chief Treasury Officer
Lucknow

04/06/13

मुख्य कोषाधिकारी
आदर्श कोषागार
कलेक्ट्रेट, लखनऊ

परगना – लखनऊ

मालियत – 2,14,15,500/–

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

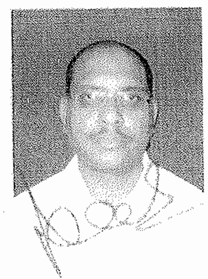

T 405981

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार – आवासीय
2. वार्ड/परगना – लखनऊ
3. मोहल्ला/ग्राम – अनौरा
4. सम्पत्ति का विवरण – खसरा संख्या–330
5. मापन की इकाई – वर्गमीटर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रू. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 576987

(3)

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल – 6370 वर्गमीटर जोकि खसरा संख्या–330 का अविभाजित भाग है।

8. अन्य विवरण (कार्नर इत्यादि) – नहीं

9. सड़क की स्थिति – फैजाबाद रोड से 100 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित

9. सम्पत्ति का प्रकार – आवासीय भूखण्ड

DEPOSITOR'S COPY

कोषागार प्रपत्र – 209 (1)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड – 5, भाग 2

प्रपत्र संख्या – 43 ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फॉर्म

उपकोषागार / बैंक का नाम व शाखा स्टेट बैंक आफ इण्डिया - ओ० ओ० ओ०

1. जिस व्यक्ति (पदनाम कद आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम सरस इन्फ्रा बिल्डकान प्रा० लि०

2. पता निकट दूधिया एडवरटाईजर्स कबीर मन्दिर के सामने सीतापुर रोड लखनऊ

3. पंजीकरण संख्या / पक्ष का नाम वाद संख्या (यदि आवश्यक हो) ....

4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा, किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है) जनरल स्टाम्प हेतु

5. चालान की सकल राशि 15,00,000/-

6. चालान की निवल राशि 15,00,000/-

7. लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखा शीर्षक की मुहर : 0030-स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क 02-स्टाम्पिंग 102-स्टाम्पों की बिक्री 1202-(SAS) 04-non stamp

8. लेखा – शीर्षक की 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा–शीर्षक	उप मुख्य–शीर्षक	लघु–शीर्षक	उप–शीर्षक	ब्यौरेवार–शीर्षक	धनराशि (अंको में)
0030	02	102	02	04	15,00,000
					/

धनराशि (शब्दों में) पन्द्रह लाख मात्र योग 15,00,000

चालान में लेखा–शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

SKS [signature]

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

[signature] 3/6/13

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या 070049 अंको में रू०

दिनांक .... शब्दों में रू०

रुपये Rs 1500000/- only सरकारी जमा खाते प्राप्त किया ... प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार/ बैंक की मुहर सहित

Fifteen Lacs

03 JUN 2015

राजकीय कोषागार, ..., लखनऊ

BSR Code:-0007806

सहायक (रोकड़) रोकड़ अधिकारी

विवरण :— रोकड़ (विवरण सहित) (धनराशि रूपयों में)

नोट / सिक्के

1000 x 500	5,00,000/=
500 x 1000	10,00,000/=
100 x	
50 x	
20 x	
10 x	
5 x	
2 x	
1 x	
चेक (पूर्ण विवरण के साथ)	15,00,000/=

योग :— रुपया पन्द्रह लाख

टिप्पणी :—

1. जिन विभागों में अधिक [illegible] में चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे व्यापार कर, स्टाम्प एवं पंजीकरण, शिक्षा, लोक सेवा आयोग आदि) उन्हे बजट साहित्य के खण्ड — ४ अथवा लोक लेखा खण्ड —२ के अनुसार लेखा शीर्षक मुद्रित कराना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य के खण्ड —२ (लोक लेखा) तथा खण्ड—४ (राजस्व एवं पूंजी लेखे की प्राप्तियां) में दर्शाये गये लेखा — शीर्षक [illegible] अनुरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

2. जिन जमा धनराशियों के लिए विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखाशीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने [illegible] निर्देशित किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा — शीर्षक को सत्यापित [illegible] आवश्यक नहीं होगा।

3. यदि जमा की जाने [illegible] धनराशि में पैसे का कोई अंश है तो ५० पैसे से कम की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा [illegible] पैसा उससे अधिक की धनराशि को अगले उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित कर धनराशि जमा की जायेगी।

Verified that [illegible] 15,00,000/- [illegible]
[illegible] 15.06.17

Treasury Officer
Collectorate, Lucknow
[illegible]/06/17

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 576988

(4)

निर्माण अनुबन्ध पत्र

यह निर्माण अनुबन्ध विलेख (1) शिशु पाल सिंह पुत्र श्री नथई सिंह (2) आनन्द पाल सिंह पुत्र श्री नथई सिंह (3) गिरजेश कुमार सिंह पुत्र श्री कृष्ण पाल सिंह (4) सर्वेश कुमार सिंह पुत्र श्री कृष्ण पाल सिंह निवासीगण– ग्राम–पपनामऊ, परगना, तहसील व जिला–लखनऊ जिन्हें इस विलेख में आगे प्रथमपक्ष/भूस्वामी कहा गया है।

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
BP 576989

(5)

एवम्

सरस इन्फ्रा बिल्ड कॉन प्रा0 लि0 कार्यालय–निकट दर्पण एडवर्टाइजर, कबीर मन्दिर के सामने, सीतापुर रोड, लखनऊ द्वारा निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरी श्री शरद गौड़ पुत्र श्री रवीन्द्र नाथ गौड़ निवासी–466/41, सी–3, पीर बुखारा, हरदोई रोड, चौक, लखनऊ जिसे इस विलेख में आगे डेवलपर/द्वितीयपक्ष कहा गया है के मध्य निष्पादित हुआ है।

शिशुपाल सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 576990

जोकि भूस्वामी/प्रथमपक्ष **आराजी खसरा नम्बर–330 स्थित–ग्राम–अनौरा, परगना, तहसील व जिला–लखनऊ** के सहखातेदार, मालिक, कामिल व काबिज है। उक्त आराजी प्रथमपक्ष की पैतृक सम्पत्ति है जो राजस्व अभिलेखों में प्रथमपक्ष के नाम बखूबी दर्ज है। उपरोक्त आराजी यू0पी0 जेड0ए0 एल0आर0 एक्ट की धारा 143 के अन्तर्गत वाद संख्या–180/08–09 कृष्ण पाल सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार, न्यायालय

श्रीमान उपजिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, सदर के निर्णय दिनांक–12/05/2009 के द्वारा कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की भूमि घोषित की जा चुकी है।

उपरोक्त आराजी प्रथमपक्ष के पूर्ण स्वामित्व एवं आधिपत्य में मौजूद है तथा हर प्रकार के भारों एवं विवादों जैसे रेहन, बय, हिबा, जमानत, मुकदमा, कुर्की, आदि से पूर्णतया बरी व पाक–साफ है तथा जिसको समस्त प्रकार से हस्तांतरित आदि करने का प्रथमपक्ष को कानूनी व मालिकाना अधिकार प्राप्त है।

जोकि उपरोक्त आराजी के अविभाजित **क्षेत्रफल–6370 वर्गमीटर** पर भूस्वामी/प्रथमपक्ष सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पांच ब्लाकों में **बहुमंजिला** इमारत का निर्माण कराना चाहते है किन्तु प्रथमपक्ष अपने अन्य कारणों व व्यवस्तता के कारण व समयाभाव व धनाभाव व निर्माण कार्य के अनुभव की कमी की वजह से उक्त कार्य कराने में असमर्थ है। जोकि द्वितीयपक्ष एक अनुभवी डेवलपर्स हैं जिन्हें निर्माण कार्य का अच्छा अनुभव प्राप्त है और प्रथमपक्ष के विश्वासपात्र व्यक्ति भी हैं। जो उपरोक्त भूखण्ड पर प्रथमपक्ष की इच्छानुसार **बहुमंजिला** इमारत का निर्माण कराने में सक्षम हैं। प्रथमपक्ष को द्वितीयपक्ष पर इस बात का पूर्णरूप से विश्वास व भरोसा है।

अतः उभयपक्ष उपरोक्त आराजी पर **बहुमंजिला** इमारत का निर्माण कार्य करवाने हेतु निम्न शर्तों के पाबन्द होते हैं ताकि भविष्य में कोई वाद–विवाद दोनों पक्षों में पैदा न हो और आराजी पर निर्माण कार्य पूर्ण रूप से सम्पन्न हो सके।

अतः उभयपक्ष निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाबन्द होते हैं :–

1. यह कि उपरोक्त आराजी पर इस निर्माण अनुबन्ध विलेख के पंजीकृत होने के उपरान्त निर्माण से सम्बन्धित सम्पूर्ण भवन का मानचित्र एवं निर्माण अनुमति सक्षम विभाग से स्वीकृति कराने हेतु सम्बन्धित कागजातों पर प्रथमपक्ष द्वारा बिना किसी हीला हवाली के अपने हस्ताक्षर कर दिये जायेंगे। भवन निर्माण से सम्बन्धित लेआउट प्लान स्वीकृत कराने हेतु सक्षम विभाग/सक्षम अधिकारी में जो भी शुल्क देय होगा उन समस्त देयों को अदा करने की जिम्मेदारी द्वितीयपक्ष की ही होगी। मानचित्र स्वीकृत कराये जाने में प्रथमपक्ष द्वारा अपना पूर्ण समय व सहयोग दिया जायेगा।

2. यह कि द्वितीयपक्ष अपनी प्रतिभूति पर अपनी सुविधानुसार किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त कर सकते हैं जिसमें प्रथमपक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी। किन्तु द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष की उक्त भूमि बन्धक आदि रखने का अधिकार नही होगा। उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता किसी बैंक आदि से नहीं लेगा।

3. यह कि उपरोक्त आराजी पर द्वितीयपक्ष द्वारा सक्षम विभाग/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये गये मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य कराया जायेगा।

4. यह कि द्वितीयपक्ष मानचित्र स्वीकृत हो जाने के पश्चात 48 माह के अन्दर समस्त निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त प्रथमपक्ष के भाग में आये निर्मित भाग का कब्जा द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को उक्त समय के अन्दर दे दिया जायेगा।

5. यह कि किसी दैवीय आपदा के कारण समयावधि बढ़ाने की आवश्यकता होती है तो उभय पक्ष आपसी सहमति से उक्त अवधि बढ़ा सकते है।

6. यह कि उक्त आराजी के स्वामित्व सम्बन्धी समस्त स्वत्व सम्बन्धी कागजों, दस्तावेजों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रथमपक्ष की होगी।

7. यह कि द्वितीयपक्ष उक्त प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत में निर्माण के समय जो भी सामग्री का प्रयोग करेगा वह उच्च श्रेणी का ही प्रयोग करेगा व बहुमंजिला इमारत का निर्माण करने में निम्नलिखित कार्य भी सम्मिलित हैं :–

क. समस्त निर्माण कार्य आर.सी.सी. व आर.बी. स्ट्रक्चर।

ख. प्लास्टर, फर्श, पेण्ट आदि का कार्य बिल्डिंग के बाहर व अन्दर।

ग. दरवाजे, खिड़की व उसकी पॉलिश।

घ. सभी बिजली की वायरिंग व फ्यूज डिब्बे।

ड. सभी बाथरूम के कार्य।

शिशुपाल सिंह

S. Jain

च. सम्पूर्ण बहुमंजिला इमारत में पानी की व्यवस्था।

छ. सीढ़ियां, ममटी व लिफ्ट का कार्य।

8. यह कि द्वितीयपक्ष द्वारा बहुमंजिला इमारत के निर्माण के दौरान लीकेज, सीवेज एवं ड्रेनेज का विशेष ध्यान रखा जायेगा जिसमें भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न न हो।

9. यह कि भवन निर्माण के समय नीव, पिलर व बीम आदि की मोटाई बहुमंजिला इमारत के भार के अनुसार सक्षम अर्किटेक्ट से द्वितीयपक्ष द्वारा स्वीकृत कराकर निर्मित करायी जायेगी।

10. यह कि प्रथम ब्लाक का भूतल भाग भूस्वामी का होगा। उसको निर्मित कराये जाने पर आये हुए समस्त व्यय का भुगतान प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को दिया जायेगा।

11. यह कि मानचित्र के हिस्से से फ्लैटों का विभाजन होगा जिसके हिस्से में जो फ्लैट आयेगा उसको व पक्ष बेचने का हकदार होगा।

12. यह कि द्वितीयपक्ष द्वारा उक्त बहुमंजिला आवासीय इमारत का निर्माण उच्च मानक नियमों के अनुरूप किया जायेगा निम्न स्तर की सामग्री का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा एवं इमारत में अन्य आवश्यक सामान्य सुविधाएं जैसे जीना व पार्किंग आदि का निर्माण किया जायेगा।

शिशुपाल सिंह

S. gar

Sarish Singh

13. यह कि उपरोक्त आराजी पर बहुमंजिला इमारत का निर्माण कराने में जो भी लागत आयेगी वह द्वितीयपक्ष द्वारा खर्च की जायेगी। निर्माण लागत किसी भी प्रकार से प्रथमपक्ष द्वारा वहन नहीं की जायेगी।

14. यह कि इस निर्माण अनुबंध के माध्यम से उपरोक्त आराजी का भौतिक कब्जा प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को प्रदान किया जा रहा है।

15. यह कि प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत में स्वीकृत मानचित्र के अनुसार प्रथम ब्लाक के भूतल भाग को छोड़कर शेष सम्पूर्ण निर्मित भाग में प्रथम पक्ष का 40 प्रतिशत भाग होगा व द्वितीय पक्ष का 60 प्रतिशत भाग होगा। दोनों पक्षों को अपने–अपने हिस्से में आई सम्पत्ति को विक्रय बंधक, दान आदि करने का पूर्ण अधिकार होगा, किसी भी पक्ष को इमारत में निर्मित कॉमन जगह को विक्रय करने का अधिकार नहीं होगा, उक्त विभाजन सम्पूर्ण इमारत के प्रत्येक तल के हिसाब से किया जायेगा।

16. यह कि प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत में 40 व 60 प्रतिशत का बंटवारा फ्लैट नम्बर देते हुये आपसी सहमति से कर दिया जायेगा, जोकि सभी तलों पर समान रुप से लागू होगा। छत पर भी प्रथम पक्ष का अधिकार 40 प्रतिशत व द्वितीय पक्ष का अधिकार 60 प्रतिशत होगा। उक्त बंटवारा रुपये में न होकर फ्लैटों/सम्पत्ति में होगा।

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री एस0के0श्रीवास्तव एडवोकेट
हाई कोर्ट लखनऊ

पेशा

निवासी

व श्री सत्य पकाश सिंह

पुत्र श्री चन्द्र भान सिंह

पेशा व्यापार

निवासी ग्राम पपनामऊ पर0तह0व जिला लखनऊ

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

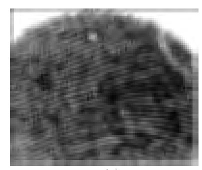

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एच0के0 पाण्डेय
उप-निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
5/6/2013

17. यह कि उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का कोई मतभेद या विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में उभयपक्ष आपस में बैठकर मतभेद को आपसी व्यक्तियों के समक्ष तय कर लेंगे किसी विधिक अड़चन के उत्पन्न होने की स्थिति में दोनों पक्षों द्वारा उसका निस्तारण कराया जायेगा और उसके निस्तारण के पश्चात ही निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा।

18. यह कि प्रस्तावित निर्माण में प्रथम दृष्टया उभयपक्षों की सहमति से तैयार किये गये मानचित्र में बाद में किसी प्रकार का परिवर्तन या दखल देने का अधिकार किसी पक्ष को नहीं होगा।

19. यह कि उपरोक्त आराजी पर निर्माण कार्य के दौरान यदि किसी अन्य शख्स या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का कोई विधिक अवरोध पैदा किया जाता है या न्यायालय के हस्तक्षेप से निर्माण कार्य बाधित होता है तो उसके निपटारे की पैरवी उभयपक्ष मिलकर करेंगे और उसके निस्तारण के पश्चात ही निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा।

20. यह कि प्रथमपक्ष के द्वारा द्वितीयपक्ष को यह अधिकार भी प्रदान किया जाता है कि द्वितीयपक्ष को उपरोक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में हर प्रकार के दावे प्रति दावे शपथ–पत्र अपील निगरानी पुर्ननिरीक्षण याचिका आदि योजित करने

शिशुपाल सिंह

विक्रय अनुबंध विलेख

प्रतिफल	मालियत	अग्रिम धनराशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
	21,415,500.00		10,000.00	20	10,020.00	1,000

श्री शिशु पाल सिंह

पुत्र श्री नथई सिंह

व्यवसाय व्यापार

निवासी स्थायी ग्राम पपनामऊ पर0तह0व जिला लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 5/6/2013 समय 2:01PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एच0के0 पाण्डेय
उप-निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
5/6/2013

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री शिशु पाल सिंह
पुत्र श्री नथई सिंह
पेशा व्यापार
निवासी ग्राम पपनामऊ पर0तह0व जिला लखनऊ

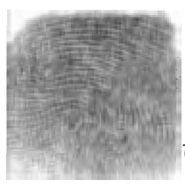

क्रेता

सरस इन्फ्रा बिल्ड कॉन प्रा0लि0द्वारा निदे/अधि.
हस्ता. शरद गौड पुत्र रवीन्द्र नाथ गौड
पेशा व्यापार
निवासी 466/41सी-3 पीर बुखारा हरदोई रोड चौक लखनऊ

श्री आनन्द पाल सिंह
पुत्र श्री नथई सिंह
पेशा सेवानिवृत
निवासी ग्राम पपनामऊ पर0तह0व जिला लखनऊ

श्री गिरजेश कुमार सिंह
पुत्र श्री कृष्ण पाल सिंह

का अधिकार होगा तथा जहां कहीं भी प्रथमपक्ष के हस्ताक्षरों की आवश्यकता होगी वहां प्रथमपक्ष बिना हीला हवाली के अपने हस्ताक्षर कर देगा।

21. यह कि उपरोक्त आराजी के सम्बन्ध में यदि किसी प्रकार की कोई पूर्व की देनदारी निकलती है तो उसकी अदायगी की जिम्मेदारी प्रथमपक्ष की होगी।

22. यह कि इस निर्माण अनुबन्ध विलेख में आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य विलेख को निष्पादित करने की आवश्यकता होती है तो उसका निष्पादन दोनों पक्षों द्वारा बिना किसी हीला हवाली के कर दिया जायेगा। जोकि इस निर्माण अनुबन्ध विलेख का आवश्यक अंग होगा।

23. यह कि उपरोक्त आराजी पर निर्माण कार्य के समय किसी भी व्यक्ति को जान व माल का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की समस्त जिम्मेदारी द्वितीयपक्ष की होगी उसमें प्रथमपक्ष का कोई वास्ता व सरोकार नहीं होगा।

24. यह कि इस निर्माण अनुबन्ध विलेख की समस्त शर्तें उभयपक्षों के वारिसानों एवं अधिकृत विधिक प्रतिनिधियों व उत्तराधिकारियों पर भी यथावत प्रभावी होंगी।

25. यह कि द्वितीयपक्ष द्वारा प्रथमपक्ष को 1,00,00,000/- रूपया बतौर जमानत धनराशि के रूप में दिया जा रहा

शिशुपाल सिंह

श्री सर्वेश कुमार सिंह
पुत्र श्री कृष्ण पाल सिंह
पेशा व्यापार
निवासी ग्राम पपनामऊ पर0तह0व जिला लखनऊ

उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ

है जिसका समायोजन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को कर दिया जायेगा।

25. यह कि इस निर्माण अनुबन्ध विलेख के द्वारा प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को उपरोक्त वर्णित आराजी पर भौतिक कब्जा प्रदान कर दिया गया है, इसलिए उपरोक्त आराजी के स्टाम्प शुल्क की अदायगी हेतु श्रीमान् जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा उपरोक्त क्षेत्र की दर रूपया 4,500/- **प्रतिवर्गमीटर** निर्धारित की गयी है जिसके अनुसार प्रथम क्षेत्रफल-1000 वर्गमीटर की मालियत **मुबलिग-45,00,000/- रूपया** होती है एवं शेष क्षेत्रफल-5370 वर्गमीटर की मालियत 30 प्रतिशत घटाते हुए **मुबलिग-1,69,15,500/-** रूपया होती है इस प्रकार उपरोक्त आराजी का कुल मूल्यांकन **2,14,15,500/- रूपया** होता है। जिस पर नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर से **मुबलिग-15,01,000/-** रूपया का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

उपरोक्त आराजी पर कोई निर्माण नहीं है। उपरोक्त भूखण्ड किसी भी योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत नहीं है। उपरोक्त भूखण्ड मुख्य मार्ग **फैजाबाद रोड से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर** स्थित है। उपरोक्त आराजी कार्नर या दो मार्गों पर स्थित नहीं है।

विक्रेता

Registration No.: 8396 Year : 2,013 Book No. : 1

0101 शिशु पाल सिंह

नथई सिंह

ग्राम पपनामऊ पर0तह0व जिला लखनऊ

व्यापार

0102 आनन्द पाल सिंह

नथई सिंह

ग्राम पपनामऊ पर0तह0व जिला लखनऊ

सेवानिवृत

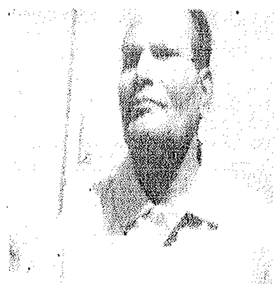

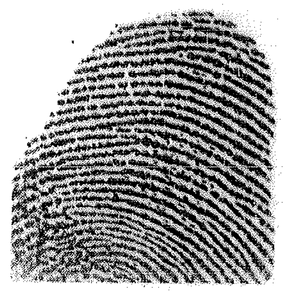

0103 गिरजेश कुमार सिह

कृष्ण पाल सिंह

ग्राम पपनामऊ पर0तह0व जिला लखनऊ

व्यापार

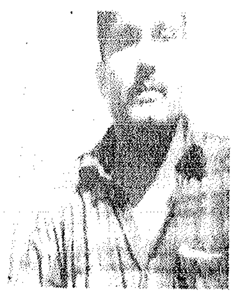

0104 सर्वेश कुमार सिंह

कृष्ण पाल सिंह

ग्राम पपनामऊ पर0तह0व जिला लखनऊ

व्यापार

भूखण्ड का विवरण

आराजी खसरा संख्या–330 में से अविभाजित क्षेत्रफल–6370 वर्गमीटर स्थित–ग्राम–अनौरा, परगना, तहसील व जिला–लखनऊ जिसकी सीमाएं निम्नवत् हैं :–

पूरब – रास्ता 20 फिट चौड़ा

पश्चिम – आराजी श्री राम सनेही यादव

उत्तर – आराजी श्री शिव प्रसाद

दक्षिण – आराजी दीगर

जमानत धनराशि प्राप्ति का विवरण

1. मुबलिग–33,00,000/– रूपया बजरिये चेक संख्या–876852 दिनांक–04/06/2013 आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, लखनऊ
2. मुबलिग–33,00,000/– रूपया बजरिये चेक संख्या–876853 दिनांक–04/06/2013 आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, लखनऊ
3. मुबलिग–17,00,000/– रूपया बजरिये चेक संख्या–876854 दिनांक–04/06/2013 आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, लखनऊ
4. मुबलिग–17,00,000/– रूपया बजरिये चेक संख्या–876855 दिनांक–04/06/2013 आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, लखनऊ

क्रेता

Registration No. : 8396 Year : 2,013 Book No. : 1

0201 **सरस इन्फ्रा बिल्ड कॉन प्रा0लि0द्वारा निदे/अधि.**

हस्ता. शरद गौड पुत्र रवीन्द्र नाथ गौड

466/41सी-3 पीर बुखारा हरदोई रोड चौक लखनऊ

व्यापार

अतः यह निर्माण अनुबन्ध विलेख उभयपक्ष ने अपने–अपने दिमाग की सही व दुरूस्त हालत में रूबरू गवाहान स्वस्थचित्त मन से बिना किसी नाजायज जोर दबाव के निष्पादित किया ताकि प्रमाण रहे व आवश्यकता पड़ने पर साक्ष्य के रूप में काम आवे।

लखनऊ

दिनांक :– 05/06/2013 हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

1. गवाह S.K. Srivastava Advocate

पता High Court, Lucknow

2. गवाह हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

पता

मसविदाकर्ता S.K. Srivastava Advocate

टाइपकर्ता

(मो0 दानिश)

कलेक्ट्रेट, लखनऊ

आज दिनांक **05/06/2013** को

वही सं. **1** जिल्द सं. **14031**

पृष्ठ सं. **137** से **170** पर कमांक **8396**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एच0के0 पाण्डेय

उप-निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

5/6/2013